न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 25/2018

अनवान :

भूपदीन पुत्र निजमुदीन जाति धोबी (मुसलमान) निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्त करवाने।

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थिति : वकील श्री आनन्द कुमार एवं

दलवीर बैनीवाल : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक:** 9.6.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 एमआरएन के खाता संख्या 37/32 के कुल किता 28 की 7.0840 है0 जिसमें नहरी 6.8840 है0 गै0मु0खाला 0.2000 है0, चक 9एमआरएन के खाता सं0 66/65 के कुल किता 20 की 4.4890 है0 बारानी, इसी चक के खाता सं0 67/66 के कुल किता 34 की 8.6020 है0 जिसमें बारानी 8.5240 है0 गै0मु0रास्ता 0.0780 है0 प्रार्थी के नाम शामिल खाते की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त चकों की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम महबूबखां राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का द्वारा विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय दर्ज कर दिया गया है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में भूपदीन पुत्र निजमूदीन दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महबूब खां दर्ज है। अलग अलग नाम महबूब खां दर्ज है। अलग अलग नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर अपने हिस्सा पर लोन व सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से वंचित हो जाता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम भूपदीन है, सहबन से महबूत खां कर दिया है। इस प्रकार वादी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 7 व 9 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर चक 9 व 7 एमआरएन की पेश की है, उनसे स्पष्ट है कि

निजामूदीन की मृत्यु होने के बाद कृषि भूमि महबूब खां के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि कृषि भूमि विरासतन मुताबिक नामान्तरकरण दर्ज हुई है चूंकि नामान्तकरण की दुरूस्ती 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत नहीं आती है। नामान्तरकरण की दुरूस्ती के लिए प्रार्थी के पास अपील का अधिकार होता है, इसलिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अपील पेश कर व उचित साक्ष्य व सबुतों के हवाले से नामान्तरकरण सं0 200, 209, 151 को निरस्त/प्रभावहीन कर तथा पून : नामान्तरकरण रजिस्टर खुलवाया जाकर अपने नाम की दुरूस्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)